

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 60/2015 प्रोवेट मु०दी०

संस्थापित दिनांक 06.04.2015

जगदीश सिंह पुत्र सोहनसिंह, उम्र 38 वर्ष। निवासी
ग्राम मोतीसिंह का पुरा (चक खनेता) परगना गोहद,
जिला भिण्ड म०प्र०।

-----आवेदक

बनाम

सर्व साधारण

-----अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता
सर्वधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

// आ-दे-श //

// आज दिनांक 11-01-2017 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 276 सहपठित धारा 212, 217, 218 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि याचिकाकर्ता/आवेदक के द्वारा उसके पिता सोहनसिंह के द्वारा उसके पक्ष में निष्पत्ति वसीयतनामा दिनांक 04.05.2006 के संबंध में प्रोवेट (प्रशासन प्रमाणपत्र) जारी किए जाने का निवेदन किया गया है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक का सोहनसिंह पुत्र सौदागरसिंह निवासी ग्राम मोतीसिंह का पुरा चक खनेता परगना गोहद के द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम चक खनेता परगना गोहद स्थित जिसके सर्वे नम्बर 395 रकवा 1.07 मिन रकवा 1.00, सर्वे क्र. 413 रकवा 0.41, सर्वे क्र. 415 रकवा 0.72 कुल किता 3 कुल रकवा 2.13 हे. है। उपरोक्त भूमि का सोहनसिंह के द्वारा आवेदक के हित में दिनांक 04.05.2006 को विधिवत वसीयतनामा लिखा जाकर विधिवत उसका पंजीयन कराया गया है। सोहनसिंह की दिनांक 17.06.2009 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि के संबंध में आवेदक के

पक्ष में निष्पादित किए गए वसीयतनामा के आधार पर आवेदक को उन पर अधिकार प्राप्त हो चुका है। वसीयतनामा उसके पिता के द्वारा विधिवत अपनी स्वामित्व की भूमियों के संबंध में अनुप्रमाणक साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया गया है जिसका कि पंजीयन किया गया है। वसीयत की गई भूमियाँ ग्राम मोतीसिंह का पुरा व चक खनेता तहसील गोहद की है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। आवेदक को मृतक द्वारा अंतिम वसीयत के आधार पर उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमियों का स्वामी हो चुका है। इस संबंध में प्रावेट प्रमाणपत्र जारी किये जाने का निवेदन किया है।

03. प्रकरण में आवेदनपत्र पेश होने के पश्चात् सर्वधासारण को प्रकाशन के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त वसीयतकर्ता सोहनसिंह के वारिसों को भी तलब करने का आदेश दिया गया जो कि उसके वारिस उसकी पत्नी सुरेन्द्र कौर तथा पुत्र रक्षपालसिंह न्यायालय में उपस्थित भी हुए। अन्य वारिस गुरुवचनसिंह तथा पुत्री कुलविंदर कौर उपस्थित नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें सूचना की तामीली हो चुकी है। वर्तमान कार्यवाही के चलने के दौरान सुरेन्द्र कौर की भी मृत्यु हो चुकी है।

04. आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रोवेट के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—
1. क्या दिनांक 4-5-06 आवेदक के पक्ष में सोहनसिंह के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियां खसरा कं0 395/2रकवा 1.07 में से मिन 1.00 व 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 किता 3 कुल रकवा 2.13 यानी 10बी0 13 वि0 का वसीयतनामा निष्पादित किया गया है ?
 2. क्या सोहनसिंह की मृत्यु हो चुकी है?
 3. क्या आवेदक वसीयतनामे के आधार पर प्रोवेट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है?

// निष्कर्ष के आधार //

विचारणीय बिन्दु कं0 1 व 2 :-

05. आवेदक जगदीश आवेदक साक्षी कं01 के द्वारा अपने शपथ पर साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके पिता सोहनसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम चक खनेता परगना गोहद में स्थित है जिनका खसरा कं0 395/2 रकवा 1.07 में से मिन 1.00 व 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 किता 3 कुल रकवा 2.13 यानी 10बी0 13 वि0 है । उसके पिता ने अपने मृत्यु के पहले दिनांक 4-5-06 को गवाहों के समक्ष उक्त कृषि भूमियों का उसके हक में

बसियतनामा किया था जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय गोहद से उसकी रजिस्ट्री करायी गयी थी । उसके पिता की मृत्यु दिनांक 17-6-09 को हो चुकी है । पिता के द्वारा अपने जीवन काल में किये गये बसियत नामें के आधार पर उक्त भूमियों पर उनका स्वामी होकर अधिकार प्राप्त हो चुका था । आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड बसियत नामा प्र०ए०1 तथा उसके पिता सोहनसिंह की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्र०पी० 2 पेश किये गये हैं । इसके अतिरिक्त बसियत नामें में दर्शायी गयी कृषि भूमियों के संबंध में खसरा पंचशला 2015-16 की सत्य प्रतिलिपियां पेश की हैं जो प्र०पी० 3 हैं ।

06. सोहन सिंह की मृत्यु होने का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक के द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र प्र०ए०2 का पेश किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 17-6-2009 को हो चुकी है । इस संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रक्षपालसिंह अ०सा०3 जो कि आवेदक का भाई है और बसियत नामें का साक्षी भी है के द्वारा भी उसके पिता सोहनसिंह की मृत्यु सन् 2009 में होना बताया है । इस बिन्दु पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । इस प्रकार सोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 17-6-2009 को होना प्रमाणित है

07. आवेदक जगदीश सिंह अ०सा०1 के द्वारा कृषि भूमियां उसके पिता सोहनसिंह के स्वामित्व की होना एवं सोहनसिंह के द्वारा उसे बसियत के आधार पर भूमियां प्रदान की जाने के संबंध में बताया है । वादग्रस्त भूमियों का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत खसरा 2015-16 की सत्य प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि बसियतकर्ता सोहन सिंह जो कि आवेदक के पिता हैं उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की चक खनेता में भूमियां रही हैं जिसमें कि वादग्रस्त भूमियां भी सामिल हैं । इस संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है । इस परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमियां आवेदक के पिता सोहन सिंह के स्वामित्व की भूमि होना प्रमाणित है

08. बसियतकर्ता सोहनसिंह के द्वारा वादी के पक्ष में उसके स्वामित्व की भूमियां खसरा कं० 395/2 रकवा 1.07 में से मिन 1.00 व 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 किता 3 कुल रकवा 2.13 यानी 10बी० 13 वि० का बसियतनामा दिनांक 4-5-06 को लिखा गया है जो कि पंजीकृत बसियतनामा जो प्र०ए०1 है । उक्त बसियतनामा जो कि सोहनसिंह के द्वारा वर्तमान आवेदक जगदीश सिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया है । बसियतनामा प्र०ए०1 पर ए से ए भाग पर सोहनसिंह के हस्ताक्षर होना आवेदक के द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

09. उक्त बसियतनामा के संबंध में बसियत के अनुप्रमाणक साक्षी बाबूसिंह यादव आ०सा०कं०2 तथा रक्षपालसिंह आ०सा०3 के कथन भी आवेदक पक्ष के द्वारा कराये गये हैं । बसियत नामें के उक्त अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा भी सोहनसिंह के द्वारा आवेदक के पक्ष में बसियत में दर्शायी गयी भूमियों का बसियतनामा निष्पादित करने और जिस पर कि ए से ए भाग

पर सोहनसिंह के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है । साक्षी बाबूसिंह यादव के द्वारा उक्त बसियत नामा सोहनसिंह के द्वारा उनके समक्ष लिखवाया जाना और उसका उप पंजीयक गोहद के कार्यालय में पंजीयन होना और उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है । बसियतनामों के अन्य साक्षी रक्षपाल सिंह अ0सा03 के द्वारा भी बसियतनामा प्र0ए1 लिखाया जाना और उसपर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है ।

10. आवेदक के द्वारा बसियत के संबंध में प्रस्तुत पंजीकृत बसियत नामा दिनांक 4-5-2006 को बसियत के अनुप्रमाणक साक्षीगण बाबूसिंह यादव अ0सा02 एवं रक्षपालसिंह अ0सा03 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है । आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है और प्रतिपरीक्षण के अभाव में साक्ष्य अखण्डनीय रहा है ।

11. ऐसी दशा में यह प्रमाणित होता है कि सोहनसिंह के द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमियों खसरा कं0 395/2 रकवा 1.07 में से मिन 1.00 व 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 किता 3 कुल रकवा 2.13 यानी 10बी0 13 वि0 के संबंध में पंजीकृत बसियतनामा आवेदक जगदीश सिंह के पक्ष में दिनांक 4-5-2006 को निष्पादित किया गया है । सोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 17-6-09 को होना भी प्रमाणित है । तदनुसार बिन्दु कं0 1 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है ।

विचारणीय बिन्दु कं03 :-

12. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं बिन्दुओं पर निकाले गये निष्कर्ष से यह प्रमाणित है कि सोहन सिंह के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमियों का बसियतनामा आवेदक जगदीश सिंह के पक्ष में दिनांक 4-5-06 को निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार उसके द्वारा खसरा कं0 395/2 रकवा 1.07 में से मिन 1.00 व 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 किता 3 कुल रकवा 2.13 यानी 10बी0 13 वि0 का बसियत उसके पक्ष में लिखा गया है । बसियतनामा विधिवत् अनुप्रमाणक साक्षियों के द्वारा बसियत किया गया है । बसियत नामों के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ती किसी के द्वारा पेश नहीं की गयी है । ऐसी दशा में उक्त भूमियों जो कि सोहन सिंह के स्वामित्व की है उसके द्वारा बसियत नामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रमाणित होता है । इस प्रकार सोहनसिंह के द्वारा निष्पादित उपरोक्त बसियतनामा दिनांक 4-5-06 के आधार पर सोहन सिंह की मृत्यु दिनांक 17-6-09 को हो चुकी है के पश्चात् अधिकार प्राप्त होता है ।

13. तदनुसार आवेदक खसरा कं0 395 रकवा 1.07 में से मिन रकवा 1.00, 413 रकवा 0.41, 415 रकवा 0.72 कुल 3 किता रकवा 2.13 हैक्टेयर अर्थात् 10 बीघा 13 विस्वा के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार प्रोवेट (प्रशासन पत्र) प्राप्त करने का अधिकारी है । उक्त संबंध में आवेदक के पक्ष में नियमानुसार प्रोवेट (प्रशासन पत्र) जारी हो ।

तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र का निराकरण किया जाता है ।
आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)